

**मांग संख्या 01**  
**मुख्य शीर्ष 2012**

**मद क्रमांक 1**

माननीय राज्यपाल द्वारा दिये जाने वाले वैवेकिक अनुदान हेतु ₹ 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2015**

**मद क्रमांक 2**

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग हेतु नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन वर्ष हेतु ₹ 522.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,22,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 3 से 18**

प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन के लिए वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 19 एवं 20**

मंत्रालय में डिजिटल सचिवालय संचालित करने हेतु क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु ₹ 92.28 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 92,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 21**

छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में साज सज्जा हेतु ₹ 2,93,760/- का व्यय संभावित है । इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 22**

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो हेतु 01 नग नवीन वाहन क्रय करने के लिये ₹ 6.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 23**

प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कक्षों के लिए प्रशिक्षण सामग्री क्रय हेतु ₹ 10.61 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।